

CBDT ने कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से आयकर रिटर्न (ITR-7) के लिए नया फॉर्म अधिसूचित किया है।

नये आयकर रिटर्न (ITR-7) के अन्तर्गत नई आवश्यकताओं में से एक बेनामी दान के छूट वाले हिस्से की रिपोर्टिंग को सम्बोधित करती है जो धारा 115BBC के अन्तर्गत कर योग्य नहीं है।

बेनामी दान तब कर योग्य हो जाता है जब यह 1 लाख या कुल प्राप्त दान के 5% की सीमा से अधिक हो।

नये आयकर रिटर्न (ITR-7) में इस राशि की रिपोर्टिंग के लिए विशेष रूप से “अनुसूची वीसी” (schedule VC) में एक नई लाइन आइटम शामिल की गई है।

क्या आप जानते हैं ?



नये ITR-7 फॉर्म में कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से बेनामी दान के छूट प्राप्त हिस्से की रिपोर्टिंग को सम्बोधित करता है।